न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 53/2017 ::

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

श्रवण कुमार चौहान पुत्र श्री बंशीलाल, जाति सरगरा, निवासी डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली

1. आसकी बेवा बंशीया उर्फ बंशीलाल
2. मांगीलाल पुत्र बंशीया उर्फ बंशीलाल
3. मदनलाल पुत्र बंशीया उर्फ बंशीलाल
4. ओमप्रकाश पुत्र बंशीया उर्फ बंशीलाल
5. चोलाराम उर्फ चेलाराम पुत्र बंशीया उर्फ बंशीलाल जातिगण सरगरा, निवासीगण डेण्डा, तहसील व जिला पाली
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत

रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र किशोर व्यास

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 11-2-2020

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार पाली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2023 ग्राम डेण्डा पटवार हल्का, डेण्डा तहसील पाली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 735 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम बाबत दिनांक 24.10.2001 को स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2023 ग्राम डेण्डा तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 24.10.2001 को स्वीकृत किया गया जो अपीलाण्ट के पिता बंशीलाल के फौत होने पर उके विधिक वारिसान के नाम भरा गया जो बंशीलाल के विधिक वारिसान के नामों की बिना जांच किए तथा बिना उन्हे नोटिस देकर अथवा इतला कर उनको बिना सुने पारित किया गया है। मात्र दो वार्ड पंचों द्वारा बताए अनुसार ही सही मान कर स्वीकृत कर दिया एवं अपीलाण्ट मृतक बंशीलाल का जायन्दा पुत्र होने के बावजुद भी उसका नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नही किया गया तथा उसके भाईयों मांगीलाल, मदनलाल, ओमप्रकाश, चेलाराम व जगदीश तथा माता आसकी के नाम इन्द्राज कर पारित किया एवं अपीलाण्ट का नाम छोड दिया गया, इससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित रह गया। अपीलाण्ट श्रवण स्व. बंशीलाल का ही जायन्दा पुत्र है। इस तथ्य के समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के सलग्न पुर्व में प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 752414907255, ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या आरजे—22—20060047083 अपने नाम के राशन कार्ड, विद्यालय से जारी टी0सी0 की फोटो प्रति भी पेश की जिसमे श्रवण कुमार के पिता का नाम बंशीलाल ही दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प0ह0 डेण्डा भू0अ0नि0 गुन्दोज, तहसीलदार पाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय जांच नहीं की एंव न ही बंशीलाल के विधिक वारिसान को तलब कर पुछताछ की गई इस

जिला कलेक्टर, पाली

वजह से अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज नही किया एवं अपीलाण्ट को उसके हक अधिकारों से वंचित कर दिया इस वजह से निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा तह0 को अपीलाण्ट का नाम भी उक्त जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज कराने हेतु आदेश प्रदान करावें। अपीलाण्ट सरकारी योजना के लाभ हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने बताया कि अपीलाण्ट के नाम का इन्द्राज रेकार्ड में नही है तब दिनांक 03.03. 2017 को अपीलाण्ट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की एवं दिनांक 07.03. 2017 अपील इस न्यायालय में पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें एवं अपीलाण्ट का नाम उसके पिता बंशीलाल के विधिक वारिसान के रूप में नामान्तरकरण में इन्द्राज कराने के आदेश प्रदान करावें। जिससे अपीलांट अपने हक अधिकारों से महरूम न हो।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02,03,व 04 के अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट भाई होने के नाते उक्त नामान्तरकरण में बतौर विधिक वारिस इन्द्राज करने हेतु सहमति व्यक्त की तथा अन्य रेस्पोडेण्टगण बावजुद तामील अनु0 होने से अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस को ध्यान पुर्वक सुना गया तथा पत्रावली एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से म्याद के प्रश्न को गौण मानते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर जो सजरा प0ह0 डेण्डा द्वारा अंकित किया है उसमें रूपाराम व सुखाराम वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है तथा अपीलाण्ट की माता आसकी के अगुंठे का निशान है इससे स्पष्ट है कि मृतक बंशीलाल के किसी भी पुत्र से पुछताछ नही की गई न ही सही तरीके से जांच की गई। अपीलाण्ट के पारिवारिक सदस्य मात्र उसकी अनपढ़ माता का ही अंगुठा निशान करवा कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो विधिसम्मत नही है इससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, ड्राईविंग, लाईसेन्स, विद्यालय की टी0सी0 तथा राशन कार्ड की फोटो प्रतियों में श्रवण के पिता का नाम बंशीलाल अंकित है। जिससे अपीलाण्ट बंशीलाल का जायन्दा पुत्र होना स्पष्ट है उसका नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नही करने का विधि सम्मत कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर नही है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत नही रखा जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2023 ग्राम डेण्डा पटवार हल्का डेण्डा,तहसील पाली को निरस्त किया जाता है, तथा तहसीलदार पाली को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है, कि बंशीलाल के विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुना जाकर बाद जांच एंव सन्तुष्टि के उपरान्त अपीलाण्ट श्रवण को बंशीलाल पुत्र लक्ष्मण सरगरा निवासी डेण्डा का जायन्दा पुत्र व विधिक वारिसान है जो उसे बतौर वारिस में नामान्तरकरण में इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11-2-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली